अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ / RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-4/2018-स्था. (भर्ती) No.F.2-4/2018-Estt.(RCT) अंसारी नगर, नई <u>दि</u>ल्ली-110029 Ansari Nagar, New Delhi-110029 दिनांक: र्वास्त्र के कार्या कार्या

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्पिरेंटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट

के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist at

the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 23.07.2020 को सुपरिंटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद हेतु विभागीय पदोन्नित सिमिति की मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्निलिखित विरुठ फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को वेतन मेटरिक्स के लेवल-11 (पूर्व संशोधित वेतन पी.बी.3 रु.15600-39100 + रु.6600 ग्रेड पे) के अंतर्गत सुपरिंटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of **Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist** held on 23rd July 2020 and its acceptance by the Competent Authority, the following **Senior Physiotherapist/Occupational Therapist** are promoted to the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist in Pay Matrix Level-11 of 7th CPC (pre-revised PB-3 15600-39100 + Grade Pay Rs.6600/-) from the date they assume the charge of the post of Superintendent Physiotherapist/ Occupational Therapist.

क्र.सं./ Sr.No.	ਗਸ/ Name	वर्तमान तैनाती/ Present Posting
1.	Sh. O.P. Yadav	PMR
2.	Ms. Lilly Farhat Parveen	PMR
3.	Sh. Devendra F. Ramteke	Orthopedics

उनकी वरिष्ठता सुपरिंटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात 23.07.2020 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 23.07.2020.

वे दिल्ली / नई दिल्ली/ एन.सी.आई. झज्जर, बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वह इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्तें उन्हें आथस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आथस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत इस पदोन्नति से पहले वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया ।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

स्परिंटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट / ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर पदोन्नति की सिफारिश एस.एल.पी. (C) No. 30621/2011 और 31288/2017 एवं माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में अपील (C) No. 28306/2017 या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist is subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 and 31288/2017, connected to appeal (C) No. 28306/2017 in the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

> [आर. संतोष कुमार / R. Santhosh Kumar] प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित व्यक्ति / The Persons concerned द्वारा / Thr:- संबंधित विभाग के प्रोफेसर एंड हेड

Prof. & Head of concerned Department

प्रतिलिपि/Copy to:-

- पी.एम.आर / ओर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर एंड हेड The Prof. & Head, Department of PMR / Orthopedics
- स्थापना अन्भाग- नि.का. / Establishment Section D.O. 2)
- लेखा अन्भाग-II एवं III / Accounts Section II & III 3)
- सम्पदा अनुभाग / सामान्य भविष्य निधि अनुभाग / सतर्कता प्रकोष्ठ Estate Section / GPF Section / Vigilance Cell
- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ / संरक्षण मिसिल ACR's Cell / SC/ST Cell / Guard File
- 6) प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा कृप्या इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website

11-charge strong. At 21/08 31 3mel 270105 Jan 3/08/2000